बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञाप संख्या–8/गृहस्थल–04–04/2011–............................ (8)/रा0, पटना–15, दि0–................................

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

विषय – बिहार सम्पर्क सड़क निर्माण योजनान्तर्गत वर्ष 2015–16 में सम्पर्क पथ के निर्माण हेतु कुल 550.00 लाख रूपये (पाँच करोड़ पचास लाख) रूपए उपबंधित राशि में से स्वीकृत्यादेश संख्या–520(8) दिनांक–30.04.2015 द्वारा स्वीकृत राशि 70,83,000/– (सत्तर लाख तेरासी हजार रूपए) के उपरान्त बची राशि 4,79,17,000 (चार करोड़ उनासी लाख सत्रह हजार रूपया) मात्र व्यय की स्वीकृति।

आदेश – स्वीकृत।

2. वित्तीय वर्ष 2015–16 में इस योजनान्तर्गत व्यय हेतु 550.00 लाख रूपये (पाँच करोड़ पचास लाख रू0) का बजट उपबन्ध प्राप्त है।

3. वित्तीय वर्ष 2015–16 में स्वीकृत्यादेश संख्या–520(8) दिनांक–30.04.2015 द्वारा कुल 7083000 (सत्तर लाख तिरासी हजार) रू0 स्वीकृत की जा चुकी है।

4. राशि का व्यय विभिन्न जिलों से प्राप्त अधियाचना के आलोक में किया जायगा।

5. सम्पर्क पथ योजना के लिए राशि की निकासी बजट मुख्य शीर्ष 4047–अन्य राजकोषीय सेवाओं एवं पूँजीगत परिव्यय उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–050–भूमि माँग संख्या–40, उप शीर्ष–0104–सड़क निर्माण हेतु भूमि का क्रय (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग) विपत्र कोड–P4047000500104 विषय शीर्ष 5302 भू–अर्जन तथा स्कीम कोड–REV 5539 के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

6. राशि का व्यय वित्त विभागीय परिपत्र संख्या–2561 (वि0) दिनांक–17.04.1998 के आलोक में किया जायेगा।

7. राज्यादेश (स्वीकृत्यादेश) में विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

कृ0पृ0उ0

8. राशि की निकासी सम्बन्धित जिला के समाहर्त्ता द्वारा सम्बन्धित कोषागार से की जायेगी।

9. आवंटन आदेश अलग से निर्गत किया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(व्यास जी),
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–8/गृहस्थल–04–04/2011– (8)/रा0, पटना–15, दिनांक–..........................
प्रतिलिपि–प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
(व्यास जी),
प्रधान सचिव।

E-mail

ज्ञापांक–8/गृहस्थल–04–04/2011– 903 (8)/रा0, पटना–15, दिनांक– 21/7/15
प्रतिलिपि–सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/सभी समाहर्त्ता, बिहार/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार/बजट शाखा–5, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(व्यास जी),
प्रधान सचिव।